

23.1.18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व पेटोमार
सरकार उपस्थित। जवाब प्रार्थनापत्र हेतु
पत्रावली 23.2.18 को पेश हो।
Sud
23.1.18

23/00 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व पेटोमार सरकार
उप. पेटोमार सरकार ने जवाब 18 फरवरी को
पत्रावली वाहे अध्यापक हेतु दिनांक 23.3.18 को
पेश हो।
Sud
23.2.18

23/18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व पेटोमार
सरकार उप. प्रार्थनापत्र प्रस्तुत की गई।
पर वकील वादी व पेटोमार सरकार को
अध्यापक पत्रावली को अवलोकने
के वकील वादी व पेटोमार सरकार को
प्रार्थना पत्र पर अध्यापक को पेश
काउंट ग्राम 276 रकबा 40
की घा 19 बिघा रकबा 309 रकबा 135
की घा 9 बिघा रकबा 20 की घा ग्राम काउंट
ग्राम ग्राम ~~पेटोमार~~ पेटोमार सरकार (वकील
कारकसे) को पत्रावली प्रस्तुत की है
वकील वादी को पत्रावली जवाब
अनुसार उपस्थित होते हैं कि किमत
की 4 जे 5 वकील वादी व पेटोमार सरकार
2003 में 3 फेब्रुवारी को पत्रावली प्रस्तुत
की है कि किमत है कि कि कि कि कि

- या प्रकृति हेतु आदेश ~~को~~ से. A में माना है।
 2। निम्नलिखित वास्तव वाली प्रकृतिपत्र 1955 की धारा
 16 (13) के अन्तर्गत भारतीय कृषि फार्म मालिकाना के
 फार्म की सीमाओं के भीतर भूमि का आवरण किती
 व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचन
 के अन्तर्गत पर वाउ प्राप्त भूमि के सम्बन्ध में
 अग्रणीय को अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत
 माना उचित नहीं समझते हैं अतः पूर्ण व्ययपत्र
 पर अन्तर्गत निम्नलिखित खारिज किया जाता है

@nd
 23.3.18